न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/105/2023 रजू दिनांकः 11.08.2023 रजि0 न0 2023/638

अपीलार्थीः–

श्री मोहनलाल शर्मा, (सेवानिवृत पटवारी तह0 रामगढ़,) निवासी ए–79, अम्बेडकर नगर अलवर (राज0)

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय), अलवर, जिला अलवर (राजस्थान) 301001

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः– 22.08.2023

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 27.06.2023 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 22.08.2023 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी/प्रत्यर्थी उपस्थित नहीं आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने जरिये प्रतिलिपि पत्र कमांक लो0सू0अ0/प्रथम अपील/2023/1348–49 दिनांक 17.08.2023 के माध्यम से जवाब नोटिस पेश किया जाकर अवगत कराया है कि अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांक 27.06.2023 के माध्यम स्वंय के पेंशन तथा अन्य परिलाभ के संबंध में विधिक 11 बिन्दुओं पर पत्राचार कार्यवाही सूचना मय संधारित नोटसीट/ऑर्डरशीट की सत्यापित प्रति चाही गई थी। वांछित सूचना के संबंध में प्रभारी अधिकारी (भू.अ.) कलक्ट्रेट अलवर के पत्रांक भू.अ./लेखा/2023/15985 दिनांक 28.07.2023 के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर कार्यालय के पत्रांक लो.सू.अ./आर.टी.आई./2023/1256 दिनांक 02.08.2023 के मायध्म से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में विनिश्चय कर सूचित किया जा चुका है। उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार किये जाने योग्य है।
5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज दिनांक 22.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(पुखराज सेन)
जिला कलक्टर अलवर
(राज0)